BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।

भारतीय संघ में केन्द्र–राज्यों के बीच वित्तीय संबंध

संघात्मक शासन व्यवस्था में केन्द्र और राज्यों के सरकारों के बीच केवल विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का ही बॅटवारा नहीं होता, बल्कि वित्तीय स्रोत्रों का भी बॅटवारा होता है। वित्तीय स्रोत्रों के विभाजन को लेकर राज्यों के बीच मतभेद एवं तनाव उत्पन्न होते रहते हैं। केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व के साधनों के विभाजन के आधारभूत सिद्वान्त – कार्यक्षमता, पर्याप्तता तथा उपयुक्तता है। भारतीय संविधान के भाग XII में केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों, का उल्लेख है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है :–

1. **कर निर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन** – भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएॅ हैं, **प्रथम**, संघ तथा राज्यों के बीच कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन **द्वितीय,** करों से प्राप्त आय का बॅटवारा। संघ के राजस्व के प्रमुख स्रोत्र – निगम कर, निर्यात शुल्क, आयात शुल्क, सीमा शुल्क, विदेश ऋृण, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, रेलवे का किराया भाड़ा, डाक एवं टेलीफोन की दरें, शेयर बाजार इत्यादि। राज्यों के राजस्व के प्रमुख स्रोत्र – कृषि भूमि पर कर, प्रति व्यक्ति कर, भवन कर, भू–राजस्व, ब्रिकी कर, मनोरंजन कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी कर इत्यादि। समवर्ती सूची के विषय दोनों के राजस्व बनाते हैं।

   संघ द्वारा आरोपित तथा संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों यथा– कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त

अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, शेयर बाजार तथा सटट्ा बाजार के आदान–प्रदान पर मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त कर, समाचार पत्रों के क्रय–विक्रय तथा उसमें प्रकाशित किए गए विज्ञापनों पर और समाचार पत्रों के अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के माल के क्रय–विक्रय पर कर इत्यादि हैं।

विभिन्न करों का विभाजन संघ तथा राज्यों के बीच होता है। उदाहरणार्थ – आय–कर का विभाजन संघीय भू–भागों के लिए निर्धारित निधि तथा संघीय खर्च को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। आय–कर के अतिरिक्त औषधियों तथा शौक–श्रृंगार संबंधी चीजों के अतिरिक्त अन्य चीजों पर लगाया गया उत्पादन शुल्क इसके अन्तर्गत आता है।

2. **सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्वेश्य के लिए दिया जाने वाला अनुदान** – संविधान के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को चार तरह के सहायक अनुदान प्रदान किए गए हैं। **प्रथम**, पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है, उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों को दे दिया जाता है। **द्वितीय**, आपदा की स्थिति में पीड़ितों की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार राज्यों को अनुदान राशि एवं सहायता प्रदान करती है। **तृतीय**, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उन्नति व उसके कल्याण की योजनाओं के लिए सहायक अनुदान राज्यों को दिया जाता है। **चर्तुथ,** राज्यों को आर्थिक कठिनाईयों से उबारने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय सहयोग करती है।
3. **भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण** – भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय मंत्रिमण्डल के परामर्श पर राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के लेखा–जोखा की निष्पक्ष जॉच करता है तथा भारतीय संसद राज्यों की आय पर अपना नियंत्रण रखती हैं।
4. **ऋृण लेने संबंधी उपबन्ध** – भारतीय संविधान के द्वारा केन्द्र को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण प्राप्त कर सके। राज्य सरकारें सीधे विदेशों से ऋृण प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

5. **वित्तीय आपातकाल** – वित्तीय आपातकाल की घोषणा की स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक ही सीमित रहती है। वित्तीय संकटकाल में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान तथा संघ के करों की आय में भाग बॉटने से संबंधित हो।
6. **वित्त आयोग का गठन** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक पॉच वर्षो पर अथवा आवश्यकतानुसार वित्त आयोग का गठन करेंगे, जिसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होगें। यह आयोग केन्द्र तथा राज्यों के बीच राजस्व वितरण के सूत्र, राज्यों को विशेष अनुदान संबंधी सुझाव या परामर्श, राज्य के बजट में से नगरपालिकाओं के अंश का निर्धारण राज्य के वित्त आयोग की सिफारिश पर कर सकता है। आयोग राष्ट्रपति को अपनी रिर्पोट पेश करता है, जिसपर भारत सरकार व संसद विचार करती है।